(b) whether the Central Government are considering making suitable amendments in the Act to streamline the process on the basis of experience of past two years; and

(c) whether there is any proposal to delegate powers to State Governments to clear projects involving forest area upto a certain ceiling and both in cases of submergence, quarries and barren area, so that progress of irrigation work is not hampered ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Irrigation projects referred to the Centre under the Forest (Conservation) Act 1980 are decided as expeditiously as possible. There is no case of Irrigation Projects pending with Government of India for more than 3 months.

(b) No such proposal is under consideration of the Government.

(c) No Sir.

Export of Rice by FCI to USSR

*679. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state the total quantity of rice exported through the Food Corporation of India to U.S.S.R. during the years 1980-81, 1981-82 and 1982-83 ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : Statement indicating the quantities of Non-Basmati rice exported by the Food Corporation of India to the USSR during the years 1980-81, 1981-82 and 1982-83.

(In thousand tonnes)

Year	Quantity exported
1980-81	89.9
1981-82	284.3
1982-83	347.4

रबी और खरीफ की फसलों की उगाही

*680. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के लिये प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी की उगाही का कोटा निर्धारित करती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उगाही के अनुपात में ही राज्यों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं । भारत सरकार इस समय खाद्यान्नों का कोई वसूली लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है ।

(ख) जी नहीं । केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किए जाते हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फ्लैटों के गिर जाने के कारण किए गये आबंटन को रद्द करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध

*681. **श्री तारिक अनवर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे फ्लैटों की क्वालिटी में सुधार लाये जाने के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उठाये गये कदमों की जाँच की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या गत दिनों अवन्तिका कालोनी में जनता— फ्लैटों के गिरने के कारण